

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
भीलवाड़ी अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-167/2018 प्रार्थना पत्र

श्री नारायण पिता श्री किशन जाट, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) —प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री देवीलाल पिता गोपीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री बंशीलाल पिता गोपीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3-श्री किशन पिता गोपीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 4-श्री जमनालाल पिता गोपीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 5-श्री मोहन पिता परथूलाल जाट, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 6-श्री लादू पिता मोहन जाट, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 7-ग्राम पंचायत, भोपालगढ़, जरिये सरपंच/सचिव, महोदय, ग्राम पंचायत भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा
- 8-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-27.2.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भोपालगढ़ पटवार हल्का भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2226 रकबा 16 बिस्वा, 2225 रकबा 3 बिस्वा, 2246 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल कित्ता 3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.6.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 7 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 16.7.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 8 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 8 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 27.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा



उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में
के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के
अनुसार किया जाकर ग्राम भोपालगढ़ पटवार हल्का भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में
आराजी नम्बर 2226 रकबा 16 बिस्वा, 2225 रकबा 3 बिस्वा, 2246 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा
3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश
है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, पुर को 300/-रूपये (तीन सौ
कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें।
की किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)

आई.ए.एस.

उपपरिषद अधिकारी

भीलवाड़ा भीलवाड़ा

भीलवाड़ा न्यायालय में सुनाया

उपपरिषद अधिकारी

भीलवाड़ा भीलवाड़ा

